

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की
धारा-4 (1) ख (12)

मैनुअल संख्या-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि
और ऐसे कार्यक्रमों से फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें।

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों से फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल इत्यादि सुविधाओं के विकास हेतु निर्माण कार्यों के माध्यम से अपना सहयोग दे रहा है।

1. गतिविधि के कार्यक्रम का नाम

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं आदि को समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रायोजित धनराशि एवं अन्य सहायता धनराशि अवमुक्त की जाती है। ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) के अधिकतर कार्य निर्माण सम्बन्धी परियोजनाएं/पुनर्निर्माण/सौन्दर्यकरण आदि होते हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध विभिन्न विभागों, संगठनों के साथ-साथ आम जनता से भी होता है।

2. कार्यक्रम का उद्देश्य

ब्रिडकुल द्वारा समस्त उत्तराखण्ड एवं राज्य से बाहर निर्माण कार्यों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को विकसित कर सामाजिक आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया जाना मुख्य उद्देश्य है।

3. लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

ब्रिडकुल में निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात् निर्धारित प्रतिशत के आधार पर लाभ प्राप्त किया जाता है।

4. कार्यक्रम/योजना की अवधि

ब्रिडकुल द्वारा क्लाइंट डिपार्टमेंट द्वारा निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु उपलब्ध कराई कई योजना अवधि को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

5. कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

ब्रिडकुल द्वारा समस्त उत्तराखण्ड एवं राज्य से बाहर निर्माण कार्यों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को विकसित कर सामाजिक आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हुए आवंटित कार्यों के आधार पर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं।

6. सब्सिडी का स्वरूप/पैमाना/आवंटित राशि

ब्रिडकुल एक कार्यदायी संस्था होने के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की सब्सिडी प्राप्त नहीं की जाती है। कार्यों का पैमाना एवं आवंटित धनराशि क्लाइंट डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है।

7. सब्सिडी अनुदान के लिए पात्रता मानदंड

ब्रिडकुल में कोई सब्सिडी लागू नहीं है।

8. सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफाईल आदि)

ब्रिडकुल में कोई सब्सिडी लागू नहीं है।